

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन एवं वन्य जीव प्रभाग, हरदोई

पत्रांक-
सेवा मे,

/14-1

दिनांक, हरदोई,

31/07

2018।

मुख्य वन संरक्षक,
लखनऊ मण्डल,
उ०प्र० लखनऊ।

विषय:- रिलायंस जिओ इंफोकाम लि० द्वारा जनपद-हरदोई में राजमार्ग सं०-38 (बिलग्राम-उन्नाव-इलाहाबाद मार्ग) कि०मी० 00.00 से कि०मी० 21.00 तक व राजमार्ग सं०-21 (बिलरायों-पनवारी मार्ग) के कि०मी०-174 से कि०मी० 199.00 तक कुल 46.00 कि०मी० एवं 0.4848 हे० संरक्षित वन भूमि मे बिना वृक्ष पातन के ओ०एफ०सी० केबिल बिछाये जाने की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय पत्रांक-229/11-सी FP/UP/Others/31676/2018 दिनांक-30-07-2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र एवं उ०प्र० शासन, लखनऊ की पत्र संख्या-2222/14-2-2018-800(107)/2018 वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2 दि०-27-07-2018 के अनुपालन मे सूचना निम्नानुसार है:-

प्रस्तावक विभाग रिलायंस जिओ इंफोकाम लि० को जनपद हरदोई के अर्न्तगत हरदोई-लखनऊ मार्ग (राजमार्ग सं०-25) कि०मी० 161.0 से कि०मी० 224.00, हरदोई-साण्डी मार्ग कि०मी०-0.0 से कि०मी० 06.50 एवं हरदोई-शाहजहाँपुर मार्ग (राजमार्ग सं०-25) कि०मी० 142.25 से कि०मी० 158.25 के मध्य कुल 85.500 कि०मी० मार्ग के किनारे 0.900 हे० संरक्षित वन भूमि मे आष्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने की अनुमति उ०प्र० शासन, लखनऊ की पत्र संख्या-पी 110/14-2-2017-800(128)/2017 वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2 दि०-06-12-2017 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रदान की गयी है।

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(राकेश चन्द्रा)

प्रभागीय निदेशक

सा० वा० वन एवं वन्यजीव प्रभाग
हरदोई।

पत्रांक-577/उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि- प्रबन्धक, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लि०, क्षेत्रीय कार्यालय, रोहतास 'के' ट्रीडेन्ट द्वितीय तल, 10 महाराणा प्रताप मार्ग, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(राकेश चन्द्रा)

प्रभागीय निदेशक

सा० वा० वन एवं वन्यजीव प्रभाग
हरदोई।